न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वादपत्र संख्या :– 181/2019

1. नन्दकिशोर आयु 52 वर्ष आ0 श्री दुर्गाशंकर जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
2. रमेश कुमार नागर आयु 30 वर्ष आ0 श्री नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
3. सोनू कुमार नागर आयु 26 वर्ष आ0 श्री नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.

–वादीगण

बनाम

1. दुर्गाशंकर आयु 76 वर्ष आ0 श्री सुक्खा जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा के0 पाटन
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार केशवरायपाटन।

–प्रतिवादीगण

वाद :–अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :–

1. वादी की और से श्री उमाशंकर नागर एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री महावीर शर्मा, एडवोकेट।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

दिनांक – 18.12.2019

–: निर्णय :–

1. वादी के द्वारा दिनांक 10.12.2019 को वाद अधिकार घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. नई 83 की कृषि भूमि ख.सं. 174 रकबा 0.54 है0, ख.सं. 177 रकबा 0.23 है0, ख.सं. 184 रकबा 0.77 है0, ख.सं. 498 रकबा 0.36 है0, ख.सं. 611 रकबा 0.53 है0, ख.सं. 612 रकबा 0.46 है0, ख.सं. 613 रकबा 1.62 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.51 है0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार क्षैत्र चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है। मूल पुरूष सुक्खा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गाशंकर है तथा प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गाशंकर के पुत्र वादी संख्या 1 नन्दकिशोर है एवं वादी संख्या 1 नन्दकिशोर के पुत्र वादी सं. 2 व 3 है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है जो पीढी दर पीढी चली आ रही है। जिसमें वर्तमान समय में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज है जबकि उक्त कृषि भूमि में वादीगणो का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक वादीगण का 1/6–1/6 हिस्सा निहीत है एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहीत है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होंने से वादीगणों को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है कि उक्त आराजी में अपने हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन करा लेवे तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक अंकन करा लेवे। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर हस्तान्तरण, रहन आदि करने पर आमादा है।
3. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने आपसी सहमति का दिनांक 17.12.2019 को राजीनामा पेश किया।
4. बहस उभय पक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दि0 17.12.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता सं. नई 83 की कृषि भूमि ख.सं. 174 रकबा 0.54 है0, ख.सं. 177 रकबा 0.23 है0, ख.सं. 184 रकबा 0.77 है0, ख.सं. 498 रकबा 0.36 है0, ख.सं. 611 रकबा 0.53 है0, ख.सं. 612 रकबा 0.46 है0, ख.सं. 613 रकबा 1.62 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.51 है0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार क्षैत्र चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 लगायत 3 को बंटवारे एवं कब्जे काश्त में मिली कृषि भूमि के मुताबिक प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड रहेगा एवं बैंक रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

नन्दकिशोर **V/S** दुर्गाशंकर वगै0

वाद– अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि, स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :: 181/2019

वादी की ओर से श्री उमाशंकर नागर अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री महावीर शर्मा, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18.12.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि–

"वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता सं. नई 83 की कृषि भूमि ख.सं. 174 रकबा 0.54 है0, ख.सं. 177 रकबा 0.23 है0, ख.सं. 184 रकबा 0.77 है0, ख.सं. 498 रकबा 0.36 है0, ख.सं. 611 रकबा 0.53 है0, ख.सं. 612 रकबा 0.46 है0, ख.सं. 613 रकबा 1.62 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.51 है0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार क्षेत्र चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 लगायत 3 को बंटवारे एवं कब्जे काश्त में मिली कृषि भूमि के मुताबिक प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड रहेगा एवं बैंक रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ....ग.................. मुबलिक ....ग.................. बाबत ....ग............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....ग.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग.................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.12.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner